<u>न्यायालय—धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>आमला जि0 बैत्ल (म0प्र0)</u>

<u>दां0प्र0क0-102 / 2018</u> <u>संस्था0दि0-30.03.16</u> फा0क0-RCT-270 / 2018

मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा—पुलिस थाना आमला, जि. बैतूल (म०प्र०)। अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

- 1. ईश्वर पिता प्रताप बेले, उम्र–20 साल,
- शिवचरण पिता नंदन गोहे, उम्र—21 साल,
 दोनों निवासी टूटमुर, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म0प्र0)।
 अभियुक्तगण

[निर्णय]

(आज दिनांक 04 /06/2018 को घोषित)

1. अभियुक्तगण ईश्वर एवं शिवचरण के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा—279, के अन्तर्गत एवं मो०व्ही०एक्ट की धारा 146 सहपित धारा 196 एवं 3 सहपित धारा 181 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—13/02/2016 को समय करीब 22:30 बजे स्थान ग्राम जीराढ़ाना एवं जैतपुर रोड पर, थाना आमला, जिला—बैतूल म०प्र० के अंतर्गत वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.—48 एम.जी. 9260 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा पूर्ण व उतावलेपन से चलाकर फरियादी अशोक को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस के एवं बिना बीमा के चलाया एवं अभियुक्त शिवचरण के विरुद्ध मो०व्ही०एक्ट की धारा 146 सहपित धारा 196 एवं 5 सहपित धारा 180 के अंतर्गत यह आरोप हैं कि

उसने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को अभियुक्त ईश्वर को बिना बीमा व ड्रायविंग लाइसेंस के बिना चलाने दिया।

- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि प्रकरण में अभियुक्त ईश्वर एवं फरियादी अशोक के मध्य धारा—338 भा०द०वि० के अपराध के अपराध में आपसी राजीनामा हो गया है, जिसके प्रभाव में अभियुक्त ईश्वर को भा०दवि० की धारा—338 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतन्त्र घोषित किया गया है और धारा—279 भा०द०वि० एवं मो०व्ही०एक्ट की धारा 146 सहपठित धारा 196 एवं धारा 3 सहपठित धारा 181 एवं धारा 5 सहपठित धारा 180 का अपराध राजीनामा योग्य नहीं होने से इन धाराओं के अन्तर्गत निर्णय किया जा रहा है। अभियुक्त शिवचरण के विरूद्ध मोटरयान के अधिनियम की धारा—5 सहपठित 181 तथा 146 सहपठित 196 के अपराध का आरोप है जो राजीनामा योग्य न होने से अभियुक्त शिवचरण के विरूद्ध उक्त अपराध के आरोप के संबंध में निर्णय किया जा रहा है।
- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अशोक ने दिनांक 19.02.16 के 13.38 बजे थाना आमला में उपस्थित होकर, इस आशय की रिपोर्ट कराई कि वह ग्रम जिराढ़ाना में रहता है तथा एयरफोर्स बोड़खी अस्पताल में लस्कर के पद पर काम करता है। दिनांक 13.02.2016 को नीमझिरी खेत से मजदूर रामदास उर्फ ओझा एवं शिवदास के साथ पैदल जिराढ़ारा आ रहा था कि रात करीब 11.00 बजे के लगभग ग्राम जैतपुर और जिराढ़ाना के बीच रोड पर नीमझिरी तरह से पीछे से आ रही मोटर सायकल हीरो होण्ड़ा के चालक ईश्वर बेले ने तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर टोकर मार दिया जिससे उसे बॉये पैर की पिंडली में चोट लगी तथा मोटर सायकल चालक के साथ दूसरे मोटर सायकल के चालक दुर्गाप्रसाद बेले और मजदूरों ने उसे घर छोड़ा मोटर सायकल चालक ने बोला था कि इलाज कराउंगा फिर एयरफोर्स अस्पताल ले गये वहां से आहत को बैतूल रिफर किया गया इलाज कराने के बाद पिन के साथ रिपोर्ट करने आया हूँ कार्यवाही की जावें।

- 4. प्रार्थी ने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जिस पर अपराध क0— 61/2016 पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया, घ ाटना का मौका नक्शा बनाया गया, जप्ती की कार्यवाही की गई, गवाहो के बयान लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
- 5. अभियुक्त ईश्वर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279 भा0दं0वि0 एवं मो0व्ही0एक्ट की धारा 146 सहपठित धारा 196 एवं धारा 3 सहपठित धारा 181 तथा अभियुक्त शिवचरण को धारा—146 सहपठित धारा 196 एवं 5 सहपठित धारा 180 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र पढ़कर सुनाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।
- 6. प्रकरण में दिनांक 31/01/2017 को अभियुक्त ईश्वर एवं फरियादी अशोक के मध्य धारा 338 भा०द०वि० के आरोप के अपराध में आपसी राजीनामा हो गया है। अतः प्रकरण के लिये निराकरण के शेष विचारणीय अंतर्गत धारा 279 भा०द०वि० एवं मो०व्ही०एक्ट की धारा 146 सहपठित धारा 196 एवं धारा 3 सहपठित धारा 181 तथा धारा 5 सहपठित धारा 180 के प्रश्न इस प्रकार है:—
 - 1— क्या अभियुक्त ईश्वर के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा—279, के अन्तर्गत के अंतर्गत यह आरोप हैं कि उसने दिनांक—13/02/2016 को समय करीब 22:30 बजे स्थान ग्राम जीराढाना एवं जैतपुर रोड पर, थाना आमला, जिला—बैतूल म०प्र० के अंतर्गत वाहन मोटर साईकिल कमांक एम.पी.—48 एम.जी. 9260 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
 - 2— क्या अभियुक्त ईश्वर ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस के एवं बिना बीमा के लोकमार्ग पर

चलाया?

3— क्या एवं अभियुक्त शिवचरण के विरुद्ध मो०व्ही०एक्ट की धारा 146 सहपठित धारा 196 एवं 5 सहपठित धारा 180 के अंतर्गत यह आरोप हैं कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को अभियुक्त ईश्वर को बिना बीमा व ज्ञायविंग लाइसेंस के बिना चलाने दिया?

विचारणीय बिन्दु कं0-1, 2 व 3 का सकारण निष्कर्ष

- 7. सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है, ताकि तथ्यों में पुनरावृत्ति ना हो। सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर साक्ष्यजनित अन्योश्रित हैं।
- प्रकरण के आहत प्रार्थी साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षी अशोक 8. (अ०सा०1) अपने न्यायालयीन साक्ष्य में यह अभिकथित किया है कि वह अभियुक्त को उसके रिश्तेदार होने से उसे जानता हूँ। घटना उसके साक्ष्य दिनांक से लगभग दो ढ़ाई साल पहले रात्रि के 11-11.30 बजे की है। जब वह अपने गांव के दुर्गाप्रसाद के साथ पैदल अपने गांव जिराढ़ाना आ रहा था, तभी नीमझिरी के पास एक मोटर सायकल वाले ने पीछे से उसे टक्कर मार दी उसे दुर्गाप्रसाद बेले ने उठाकर एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया था। दुर्गाप्रसाद बेले ने कहा था वह अभियुक्त ईश्वर प्रसाद बेले से कहकर उसका इलाज करा देगा किन्तु अभियुक्त ईश्वर प्रसाद बेले ने उसका इलाज नहीं कराया तो उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी0-5 लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना रात्रि की और घटना स्थन पर अंधेरा था। टक्कर मारने वाला मोटर सायकल वाहन चालक टक्कर मारकर भाग गया था। अंधेरा होने की बजह से वह वाहन चालक को नहीं देख पाया उसने वाहन का नम्बर भी नहीं देखा था। आगे इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि दुर्गाप्रसाद बेले घटना के लगभग आधा घंटे बाद पहुंचा था। यह भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल से टक्कर

कई मोटर सायकल गुजरी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दुर्गाप्रसाद के कहने पर ईश्वर बेले के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराया थी और दुर्गाप्रसाद के कहने पर ही वाहन का नम्बर थाने में दर्ज कराया था। आगे इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे बाद में ये जानकारी प्राप्त हुई कि दुर्गाप्रसाद बेले ने ईश्वर बेले का नाम गलती से दर्ज करा दिया है। आगे यह भी स्वीकार किया है कि यह भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ईश्वर प्रसाद बेले ने उसे टक्कर नहीं मारी है, ईश्वर प्रसाद बेले के पास मोटर सायकल नहीं है।

- 09. विवेचक साक्षी जितेन्द्र गुर्जर (अ०सा०—1) ने अभियोजन कथा का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में इस साक्षी के कथन अखंडित रहे हैं।
- 10. उपरोक्त साक्ष्य से मेरे समक्ष यह तथ्य आये हैं कि स्वयं आहत अशोक (अ०सा०२) ने प्रतिपरीक्षण में अभियोन कथा का समर्थन नहीं करते हुए घ ाटना के समय स्वयं अभियुक्त देखने तथा वाहन का नम्बर देखने से इंकार किया तथा अभियुक्त ईश्वर का नाम एवं वाहन का नम्बर दुर्गाप्रसाद के बताये अनुसार लेख कराये जाना अभिकथित किया है। साथ ही यह भी अभिकथित किया है कि उसे बाद में पता चला था कि कथित घटना अभियुक्त ईश्वर बेले के द्वारा नहीं की गई है। अभियुक्त ईश्वर प्रसाद बेले के पास मोटर सायकल नहीं है। इस प्रकार इस साक्षी के न्यायलयीन साक्ष्य से कथित घटना के अभियुक्त ईश्वार प्रसाद बेले प्रकरण में जप्त शुदा कथित वाहन चला रहा था के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है।
- 11. यद्पि प्रकरण में विवेचक ने अभियोजन कथा का समर्थन किया है और प्रतिरीक्षण के उक्त साक्षी अखंडित रहे है किन्तु विवेचक साक्षी घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे इसलिए इस साक्षी के न्यायालयीन कथन पर विश्वास करने के लिए कोई सम्पुष्टि कारक साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है।
- 12. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर मेरे समक्ष यह

तथ्य आये हैं कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी आहत अशोक ने घटना दिनांक को अभियुक्त ईश्वर ने उसे मोटरसायकल से टक्कर मारकर चोट पहुंचाई थी, के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन की ओर से घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया गया है। विवेचक साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य प्रकरण के आहत के न्यायालयीन साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई अन्य साक्ष्य मौजूद नहीं है कि जिससे यह दर्शित हो कि घटना दिनांक को अभियुक्त ईश्वर ने प्रकरण में जप्तशुदा कथित वाहन को चलाकर आहत अशोक को टक्कर मारी हो तब फिर अभिलेख पर आई ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ईश्वर को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

- 13. ऐसी स्थिति में जबिक अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रश्नगत घटना दिनांक को अभियुक्त ईश्वर वाहन चलाकर आहत अशोक को टक्कर मारी तब यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ईश्वर ने प्रकरण में जप्तशुदा उक्त वाहन मोटर सायकल कमांक एम0पी0—48 एमजी 9260 को लोकमार्ग पर बिना झायबिंग लायसेंस एवं बिना बीमा के लोकमार्ग पर चलाया।
- 14 जबिक अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ईश्वर ने प्रश्नगत घटना के समय लोकमार्ग पर बिना ड्रायविंग लायसेंस, बिना बीमा के वाहन चलाकर मानव जीवन को संकटापन किया, तब फिर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त शिवचरण ने अभियुक्त ईश्वन को बिना ड्रायविंग बिना बीमा के वाहन चलाने के लिये दिया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त शिवचरण को भी दोषसिद्व नहीं किया जा सकता।
- 15. अतः अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ईश्वर ने दिनांक—13/02/2016 को समय करीब 22:30 बजे स्थान ग्राम जीराढाना एवं जैतपुर रोड पर, थाना आमला, जिला—बैतूल म०प्र० के अंतर्गत वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.—48 एम.जी. 9260 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न

कारित किया एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा पूर्ण व उतावलेपन से चलाकर फरियादी अशोक को टक्कर मारकर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस के एवं बिना बीमा के चलाया एवं अभियुक्त शिवचरण के विरुद्ध मोठव्हीठएक्ट की धारा 146 सहपिठत धारा 196 एवं 5 सहपिठत धारा 180 के अंतर्गत यह आरोप हैं कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को अभियुक्त ईश्वर को बिना बीमा व ड्रायविंग लाइसेंस के बिना चलाने दिया। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर अभियुक्त ईश्वर को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279 भाठदठित धारा 181 के आरोप से एवं अभियुक्त शिवचरण को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 196 एवं धारा 3 सहपिठत धारा 181 के आरोप से एवं अभियुक्त शिवचरण को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा— 5 सहपिठत धारा—180 एवं 146 सहपिठत धारा 196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतन्त्र किया जाता है।

- 16. अभियुक्तगण के पूर्व जमानत मुचलके भारमुक्त कर उन्मोचित किये जाते हैं।
- 17. अभियुक्तगण यदि अनुसंधान एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में निरूद्ध रहे हों तो इस संबंध में प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 428 द0प्र0सं0 पृथक से बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जाये।
- 18. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन एवं मूल दस्तावेज पूर्व से उसके स्वामी को सुपुर्दनामे पर प्राप्त हैं। अतः अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दनामा उसके पक्ष में उन्मोचित समझा जाये एवं अपील होने की दशा मे इसका निराकरण मान0 अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(धर्मेन्द्र खण्डायत) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमाल जि0 बैतूल (म0प्र0) (धर्मेन्द्र खण्डायत) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला जि0 बैतूल (म0प्र0)